



JALAUN POLICE

दिनांक – 20.08.2026

थाना गोहन पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना(ब्लाइन्ड मर्डर) का सफल अनावरण कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2026 को वादी श्री राकेश तिवारी पुत्र स्व० गिरजाशंकर निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा थाना गोहन जनपद जालौन ने अपने पिता गिरजाशंकर की अज्ञात अभियुक्त द्वारा डण्डे से पीट पीटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । जिसके आधार पर थाना गोहन पर तत्काल मु०अ०सं० 51/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही व फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी ।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी माधौगढ व थानाध्यक्ष गोहन को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था । पुलिस की विवेचना के क्रम में इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आए अभियुक्त राजू दुबे उर्फ राजकुमार पुत्र प्रभुदयाल दुबे नि० ग्राम बिठौली थाना बिठौली जनपद इटावा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है । घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद डण्डा को घटना के दिन ही बरामद कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि साहब मेरी छोटी भांजी रूपाली की शादी दिनांक 19.02.2026 को थी । जिसमें तेल की रस्म वाले दिन मैंने शराब पी ली थी तो मेरे बहनोई राकेश तिवारी के पिता गिरजा शंकर तिवारी ने मुझे थप्पड़ों से मारा-पीटा और मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया था । इसी बात से आहत होकर बदला लेने के लिए दिनांक 21.06.2026 की रात्रि में मौका पाकर ग्राम पृथ्वीपुरा में खेत पर लेटे गिरजाशंकर के सिर पर मैंने लकड़ी के डंडा से कई बार प्रहार किए । जब मुझे लगा कि अब यह मर गया है तो मैं डंडे को समरसेबल के सामने बने सूखे नाले में फेंक कर भाग गया था ।

नाम पता अभियुक्त-

राजू दुबे उर्फ राजकुमार पुत्र प्रभुदयाल दुबे उम्र करीब 50 वर्ष नि० ग्राम बिठौली थाना बिठौली जनपद इटावा

पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष गोहन मय पुलिस टीम ।